प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.10.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 25,000/- रुपये का इनामी 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 14.10.2025 की शाम को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सेकटर 1 वसुन्धरा टी पाइंट पर चैकिंग की जा रही थी तभी हिण्डन पुलिया की ओर से एक मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति आता हुआ देखकर पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार व्यक्ति नही रुका तथा मोटर साइकिल को तेजी से मोड़कर वसुन्धरा सेक्टर 2ए ग्राउंड की ओर कच्चे रास्ते पर भागने लगा, तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बचकर भागने की जल्दी व हडबडाहट में मोटर साइकिल फिसलकर गिर गई। मोटर साइकिल व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देख अपने पास रखे तमंचे से पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिससे पुलिस पार्टी मे बाल-बाल बची इसी क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए पुलिस पार्टी द्वारा सिखलाए हुए तरीके से बदमाश की तरफ फायर किया। जिससे बदमाश अफजल पुत्र अनवर निवासी ए 248 लक्ष्मी गार्डन अत्री चक्की वाली गली निकट इन्दिरापुरी पुलिस चौकी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के पैर में गोली लग गयी। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ एक महिने पहले वसुन्धरा सेक्टर 8 थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से बाइक सवार व्यक्ति से छिनैती की घटना कारित की थी और मौके से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अफजल पुत्र अनवर निवासी- ए 248 लक्ष्मी गार्डन अत्री चक्की वाली गली निकट इन्दिरापुरी पुलिस चौकी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अफजल पुत्र अनवर उपरोक्त थाना इन्दिरापुरम पर स्नेंचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त 25,000/- रुपये का इनामी है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की 02 चैन व 48000 रुपए कैश व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के अन्तर्गत थाना मुरादनगर क्षेत्र में हुई स्नैचिंग व चोरी की घटनाओं के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण में स्नैचिंग व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 14.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के नीचे चैंकिंग की जा रही थी तभी गांव दुहाई की तरफ से आ रही बिना नम्बर प्लेट की एक मोटर साइकिल पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार युवक नही रुका तथा मोटर साइकिल पर सवार युवक ने मोटर साइकिल दाहिने तरफ खेतों की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी, आगे कच्चे रास्ते पर गड्ढे होने से मोटर साइकिल का संतुलन बिगड़ गया फिसल जाने के कारण मोटर साइकिल गिर गई। मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल पर सवार युवक ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर सीधा फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे युवक पर जवाबी फायर किया गया जिससे गोली चलाने वाले बदमाश नौशाद उर्फ बादशाह पुत्र मोबीन निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष के पैरों में गोली लग गयी, जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया, जिसे पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की 2 चैन व 48000 रुपए नगद व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर कुछ माह पहले मोदीनगर से एक फ्लैट से ज्वेलरी व नगदी चोरी की थी और थाना मुरादनगर क्षेत्र से सितंबर माह में चेन स्नैचिंग की थी तथा भगवान महावीर मार्ग बड़ौत बागपत से चैन स्नैचिंग की थी। अभियुक्त उपरोक्त से जो चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है, उसको अभियुक उपरोक्त ने कुछ वर्ष पहले थाना साहिबाबाद क्षेत्र से चोरी किया था।आज अभियुक्त बरामद सामान को बेचने की फिराक में डासना की तरफ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नौशाद उर्फ बादशाह पुत्र मोबीन निवासी फरुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, पीली धातु की 02 चैन व 48000 रूपए नकदी व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उर्फ बादशाह उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिंभावली हापुड़ पर चोरी व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

आगामी त्यौहारों में सुदृढ़ यातायात व्यवस्था हेतु फ्लैग मार्च एवं चालानी कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के द्वारा आगामी पर्वों यथा धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के दौरान आमजन को सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से गाजियाबाद के प्रमुख भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों- अम्बेडकर रोड, घंटाघर, रमते राम रोड, नवयुग मार्केट एवं इंदिरापुरम में दिनांक **13-10-2025** एवं **14-10-2025** को फ्लैग मार्च किया गया।

उक्त फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा दुकानदारों को निर्देशित किया गया, कि त्यौहारों के दौरान अपने प्रतिष्ठानों के बाहर किसी भी प्रकार का सामान आदि रखकर अतिक्रमण न करें। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सड़क किनारे खड़े ठेली/खोखा/खोमचा के विरुद्ध धारा **152 BNSS** के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उन्हें मौके से हटवाया गया एवं गलत तरीके से सड़कों पर खड़े वाहनों के **विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम** के अंतर्गत चालान की कार्यवाही करते हुए कुल **1,123** वाहनों के चालान किये गए।

उक्त फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस उपायुक्त यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के साथ साथ निरीक्षक यातायात, उपनिरीक्षक यातायात, एवं अन्य यातायात कर्मी उपस्थित रहे।

आमजनों से अपील:-

यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद नागरिकों से अपील करती है, कि वो आगामी त्योहारों के दौरान:

- सड़क पर अतिक्रमण न करें।

- वाहन को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
- यातायात नियमों का पालन करें एवं सहयोग प्रदान करें।
- किसी भी समस्या या जानकारी हेतु यातायात हेल्पलाइन नंबर/पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें।

आगामी त्यौहारों के दौरान सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.10.2025 को समय करीब 16.30 बजे वादी सचिन पुत्र प्रेमचन्द निवासी मेन 25 फुटा रोड थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद के भाई विशाल व उसके दोस्त दीपांशु के साथ अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित 2. तुषार पुत्र संजित 3. शाहिल पुत्र मुनिया 4. जीत उर्फ संजीत पुत्र मुंशी 5. भीमा पुत्र विनोद निवासीगण बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर द्वारा लाठी, डण्डों, ईट पत्थर से मार पीट करना जिससे वादी के भाई विशाल का गम्भीररूप से घायल हो जाना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1. वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कॉलोनी फिटनेस जिम के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, 2. कालू उर्फ देव पुत्र शिव कुमार उर्फ मुनिया निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौकी के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासी शिव मंदिर गौसपुरिया वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद 4. प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कॉलोनी बल्लू भवन वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये व उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 07.10.2025 थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.अमन पुत्र जीत उर्फ संजित 2.वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले 3.प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 15.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों **1.**तुषार उर्फ बुड्ढा पुत्र जीत र्फ संजित निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष **2.** गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक कुमार निवासी अंबेडकर कॉलोनी शिव मंदिर के सामने वाली गली थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान बताया कि अभियुक्त अमन व मृतक विशाल के बीच काफी समय से गुटबाजी चल रही थी उन दोनों के बीच करीब 04 महीने पहले भी झगडा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया था व पथराव किया था जिसमें दोनो जेल गये थे। दिनांक 01.10.2025 को भी उनके बीच कहासुनी हो गयी थी जिसमें हम सबने मिलकर ईंट पत्थरों से विशाल के साथ मारपीट की थी और दीपांशु के भी बीच बचाव में सिर में चोट लग गयी थी। फिर हम विशाल को मरणासन्न अवस्था में छोडकर वहाँ से भाग गये थे। हमें बाद में पता चला कि विशाल की जीटीबी में मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.तुषार उर्फ बुड्ढा पुत्र जीत र्फ संजित निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

2. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक कुमार निवासी अंबेडकर कॉलोनी शिव मंदिर के सामने वाली गली थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये व आभूषण बेचकर प्राप्त किये गये 1 लाख 2 हजार नगद रुपये बरामद ।

दिनांक 21.08.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री अजय कुमार प्रजापति S/O राम प्रताप निवासी संजीवनी स्टेट सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से आभूषण व रुपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के लिए थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा

331(3) /305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.10.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त शकील पुत्र स्व0 इस्माइल निवासी पुराना बाजार रहमानिया मस्जिद गली न0-1 थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड हाल पता छितरा बस्ती पठान वाली गली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 74 वर्ष को काजमपुर रोड थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये व आभूषणों को बेचकर प्राप्त किये गये 01 लाख 02 हजार रु नगद बरामद हुए। उपरोक्त घटना का दूसरा अभियुक्त नौशाद उर्फ बादशाह पुत्र मोबीन निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद को दिनांक 14.10.25/15.10.25 की रात्री स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड मे गिरफ्तार किया गया है जिससे उक्त घटना से सम्बन्धित 48 हजार रु बरामद हुये है। दोनो अभियुक्तो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त शकील द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बरामद रुपयों के सम्बन्ध में बताया कि मैंने अपने साथियों नौशाद उर्फ बादशाह व राजू उर्फ राजेन्द्र के साथ मिलकर संजीवनी स्टेट में स्थित एक घर से दिनांक 20.8.2025 को आभूषण व रूपये चोरी किये थे। चोरी किये गये आभूषणों को राजू उर्फ राजेन्द्र ने किसी व्यक्ति को बेच दिया था जिसका पैसा हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में करीब डेढ़ लाख रूपये आये थे जिसमें से कुछ पैसे खर्च हो गये थे।
नौशाद उर्फ बादशाह को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.10.25 को मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 48 हजार रु नगद बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शकील पुत्र स्व0 इस्माइल निवासी पुराना बाजार रहमानिया मस्जिद गली न0-1 थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड हाल पता छितरा बस्ती पठान वाली गली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 74 वर्ष।

वाँछित अभियुक्त के नाम व पता-

राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामविलास निवासी गुरूद्वारा के पास सीलमपुर दिल्ली।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शकील के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मेडीकल कॉलेज मेरठ में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
अभियुक्त नौशाद उर्फ बादशाह के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल 01 लाख 02 हजार रु नगद (चोरी किये गये व आभूषणो को बेचकर प्राप्त किये गये) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट के साथ बरामद ।

दिनांक 14.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान राहुल विहार अण्डर पास के पास से अभियुक्त समीर पुत्र रिफाकत निवासी शाहकरौद थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है बरामद हुई। फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक धारा 317(2)345(3) बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त समीर उपरोक्त ने बताया कि जो मोटर साइकिल मुझसे बरामद हुई है वह मैंने लॉक डाउन से पहले दिल्ली से चोरी की थी, पुलिस से बचने के लिए मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट को बदल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

समीर पुत्र रिफाकत निवासी शाहकरौद थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र 18 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ई थेफ्ट दिल्ली मे 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस फर्जी नम्बर प्लेट।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व ट्रैफिक पुलिस टीम।

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 150 मोबाइल (अनुमानित कीमत 35 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सीई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 150 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रूपये है की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1. थाना कोतवाली नगर- 40
2. थाना विजयनगर-40
3. थाना सिहानीगेट-15
4. थाना नंदग्राम - 17
5. थाना कविनगर-14
6. थाना मधुबन बापुधाम -18
7. थाना साइबर-06

कुल बरामद मोबाइल - 150

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी 01 पीली धातु का गले का हार ,06 जोडी सफेद धातू पायल, 02 बिछुए सफेद धातु बडे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 01 सफेद धातू का मंगलसूत्र, 02 सफेद धातू के सिक्के , 01 सफेद धातू अंगुठी व 1,60,000/- रुपये बरामद ।

आज दिनांक 15.10.2025 मिशन शक्ति टीम एवं थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्ता हेमा पुत्री रणवीर सिंह पत्नी राजू मूल पता गली नं0 03 ब्लोक सी नन्दग्राम आश्रम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद हाल पता प्रमोद कुमार का किराये का मकान शंकर विहार कालोनी लालकुँआ थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र वेवसिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से

चोरी की 01 पीली धातु का गले का हार ,06 जोडी सफेद धातू पायल, 02 बिछुए सफेद धातु बडे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 01 सफेद धातू का मंगलसूत्र, 02 सफेद धातू के सिक्के , 01 सफेद धातू अंगुठी व 1,60,000/- रुपये नगद बरामद हुये । उक्त चोरी के संबंध में थाना वेवसिटी पर मु0अ0सं0 302/25 धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता हेमा पुत्री रणवीर सिंह पत्नी राजू ने पूछताछ के दौरान बाताया कि मैं इसी मकान में नीचे किराये पर रहती हुँ लगभग दो महीने पहले अलमारी में प्रमोद कुमार की पत्नी ने अपने गहने व रुपये रखे थे जिसको मैने देख लिया था तो मेरे मन में लालच आ गया था । लगभग एक महीने पहले मैने कमरे की चाबी उनके फ्रिज से उठा ली थी तथा कमरे का ताला खोलकर अलमारी में रखे गहने व पैसे चोरी कर लिये थे मुझे यह पता चला कि प्रमोद भईया ने चोरी के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करा दिया है तो आज मैं यहाँ से कही जाने की फिराक में थी ,कि पुलिस चैकिंग में पकडी गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

हेमा पुत्री रणवीर सिंह पत्नी राजू मूल पता गली नं0 03 ब्लोक सी नन्दग्राम आश्रम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद हाल पता प्रमोद कुमार का किराये का मकान शंकर विहार कालोनी लालकुँआ थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से चोरी की 01 पीली धातु का गले का हार ,06 जोडी सफेद धातू पायल, 02 बिछुए सफेद धातु बडे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 02 बिछुए सफेद धातू छोटे , 01 सफेद धातू का मंगलसूत्र, 02 सफेद धातू के सिक्के , 01 सफेद धातू अंगुठी व 1,60,000/- रुपये नगद बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध तथा उक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

मिशन शक्त टीम थाना वेवसिटी थाना वेवसिटी पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह मलिक द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नितिन शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376 भादवि में अभियुक्त अजय पुत्र तुलाराम निवासी इरशाद गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-1 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 15.10.2025 को धारा 376 भादवि में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 05.11.2021 को वादिया/पीडिता के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा चाकू दिखाकर जबरदस्ती दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कर देने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना टीलामोड़ पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

		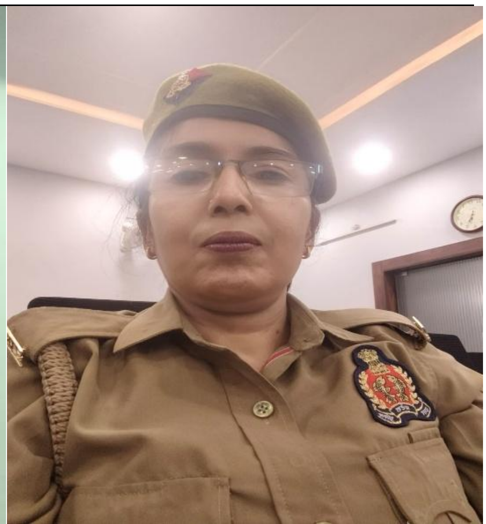
श्री नितिन शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0मु0आ0 स्वीटी** पैरोकार थाना टीलामोड़

ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 07 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे. रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री निमिष पाटिल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 07 शातिर अपराधियों के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के थानों पर अभियोग पंजीकृत है। जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अपराधी का नाम व पता	उम्र	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	कपिल कुमार गौतम पुत्र हर प्रसाद गौतम निवासी 10/15 कबुल नगर नियर रेलवे स्टेशन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।	35	08
2	मनीष उर्फ मोनू पुत्र स्व0 अभय सिंह निवासी सुखदेव के मकान में बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम कपसाड थाना सरधना जनपद मेरठ।	30	11
3	अभिषेक पुत्र लवकुश निवासी बैहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद।	28	03
4	मोहम्मद मुन्नू उर्फ मोनू खान पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी भोरे शाहपुर थाना खानपुर समस्तीपुर बिहार।	25	01
5	मेहताब पुत्र इसराईल निवासी पूर्वी आजाद नगर पांडव रोड गली नं 2 थाना शाहदरा दिल्ली मूल निवासी भौरे शाहपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर बिहार।	24	01
6	जयप्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण महतो निवासी पटपरा दक्षिण थाना विभूतिपुर समस्तीपुर बिहार	56	01
7	दीपू पुत्र बाबू तौमर निवासी ज्वालापुर लाल मन्दिर जग्गू घाट थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार मूल निवासी राजा का ताजपुर थाना राजा का ताजपुर जनपद बिजनौर।	30	01